Vol. VIII, No.1(I) : 2022
ISSN - 2277-7067

राष्ट्रहिताय संस्कृतम्

Peer Reviewed

Journal of Fundamental & Comparative Research

शोधसंहिता

A Bi-annual Interdisciplinary Research Journal of KKSU
Peer Reviewed Journal of Fundamental & Comparative Research

शोधसंहिता

Editor in Chief : **Prof. Shrinivasa Varkhedi**
Hon'ble Vice Chancellor

General Editor : **Prof. Madhusudan Penna**

Executive Editor : **Dr. Dinakar Marathe**

Editorial Board : **Prof. Nanda Puri** **Prof. C.G.Vijaykumar**
Prof. Lalita Chandratre **Prof. K. K. Pandey**
Dr. Deepak Kapde (Secretary)

Published by : **Registrar,** KKSU, Ramtek

KAVIKULAGURU KALIDAS SANSKRIT UNIVERSITY
RAMTEK

Index

1	राष्ट्रीय आंदोलन में डॉ. भीमराव आंबेडकर का योगदान एक विश्लेषणात्मक अध्ययन डॉ. ज्योति	1
2	**EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF TECHNOSTRESS IN DIGITAL INTERACTION: A STUDY ON WEST BENGAL HIGHER EDUCATION TEACHERS** Ms. Koyel Mallick	8
3	**CONSUMER PERCEPTION TOWARDS ONLINE MARKETING IN INDIA** Ms.G.Arutgeevitha	18
4	**A STUDY ON WORK STRESS OF PRIVATE COMPANY EMPLOYEES WITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE** Dr. S. Harikaran	22
5	**A STUDY ON CUSTOMERS SATISFACTION TOWARDS ONLINE SHOPPING WITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE DISTRICT** Dr. T. M. Hemalatha	28
6	**RETAILER PERCEPTION TOWARDS IMPLEMENTATION OF GOODS AND SERVICE TAX (GST) IN PALAKKAD TOWN** Ms.A.Anusha	37
7	**THE IMPACT OF MEDIA USAGEOF TEENAGERS WITH POSITIVE AND NEGATIVE FACETS** Mr. P. Sasikumar	42
8	**A STUDY ON EXPORT ANALYSIS OF COIR AND COIR PRODUCTS IN INDIA** Ms. V. Priyanka	47
9	**ASTUDYONCONSUMERAWARENESSANDATTITUDETOWARDSRECYCLEDPA CKAGING IN COIMBATORE CITY** Mr. M. Romeo	50
10	**A STUDY ON STUDENT SATISFACTION LEVEL TOWARDS ONLINE COURSESWITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE CITY** Mr. M. M. Vishnu	61
11	**ASTUDYONCUSTOMERPERCEPTIONANDSATISFACTIONTOWARDSSMARTP HONE WITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE CITY** Ms. A. Shiney Nirmala	70
12	**A STUDY ON FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL STRESS AMONG EMPLOYEES IN GARMENT EXPORT COMPANIES** Dr.R.Logambal	77
13	**MENTAL HEALTH OF ADOLESCENTS SEEKS PRIORITY IN THE TECH WORLD-A STUDY IN COIMBATORE DISTRICT** R.Kamalavenu	82
14	**A COMPARATIVE STUDY OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCE OF ADOLESCENTS OF DARBHANGA DISTRICT** Rinki Kumari	88
15	**A STUDY ON PERCEPTION AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL EXPORT IN AVAILING INCENTIVE SCHEMES (with special reference to Coimbatore district)** J.Sheeba	92

16 IMPACT OF MARKETING STRATEGIES ON CONSUMER BUYING BEHAVIOUR WITH REFERENCE TO FMCG PRODUCTS IN COIMBATORE IN TAMIL NADU 95
Dr.P.Jayasubramanian
17 A STUDY ON DIVIDEND POLICY AND ITS EFFECT ON FIRM VALUE-WITH SPECIAL REFERENCE TO SELECTED CEMENT COMPANIES IN INDIA 99
Dr.N.Deepa
18 A STUDY ON FACTORS INFLUENCE BUYING BEHAVIOUR OF FOUR WHEELER ELECTRIC VEHICLE IN MADHYA PRADESH 107
Aman Mahajan
19 भारत ईरान आर्थिक सम्बन्ध 120
विवेकानन्द शाही
20 सिनेमा और साहित्य 122
प्रा. डॉ. उत्तम जाधव
21 सिन्धु घाटी सभ्यता में माप–तौल प्रणाली 124
सुरेन्द्र चौहान
22 SOCIO-CULTURAL ASPECTS IN LITERATURE AND ITS EFFECTS ON THE READERS: A STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF THE TEXTS OF SUDHA MURTY 127
Ms. Gopika M S
23 A STUDY ON INSUREDS' PERCEPTION TOWARDS LIFE INSURANCE POLICIES IN MALAPPURAM DISTRICT 129
Anandan A P
24 BRAND ATTRIBUTES DETERMINING THE PREMIUM MOTORBIKE BRAND CHOICE IN COIMBATORE DISTRICT 138
Priyanga.M
25 DIGITAL PEDAGOGY IN TEACHER EDUCATION 143
Dr. Anjali Shokeen
26 RETROSPECTION OF LITERATURE REVIEWS ON ADVERSITY QUOTIENT FROM 2012 TO 2021 151
BALAMOUROGANE.R
27 INFLUENCE OF LABELING AND PACKING ON BEHAVIOUR OF CONSUMERS BUYING FMCG PRODUCTS 166
Dr. S. KAMESH
28 बच्चों के देखभाल में महिला शिक्षा की भूमिका (बिहार के सन्दर्भ में) 173
डॉ0 सुनील कुमार साह
29 PSYCHE ANALYSIS OF FEMALE CHARACTER OR PROTAGONIST IN ANITA DESAI'S NOVEL 'CRY, THE PEACOCK' 176
Sunil Panthi
30 REVIEW ON GREEN SYNTHESIS, PROPERTIES AND APPLICATION OF NANOPARTICLES 178
Harvinder Kaur Sidhu

Shodhsamhita : Journal of Fundamental & Comparative Research Vol. VIII, No. 1(I) : 2022
ISSN: 2277-7067

राष्ट्रीय आंदोलन में डॉ. भीमराव आंबेडकर का योगदान
एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. ज्योति
सहायक आचार्य, राजनीतिक विज्ञान विभाग,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
Email: jyotiplosc@hpcu.ac.in

ऋषि कुमार
शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
Email: rishibhardwaj@gmail.com

शोध सार

डॉ. भीमराव आंबेडकर आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वह एक महान विचारक, उच्च कोटि के कानूनविद, अर्थशास्त्री, समाज-सुधारक, एवं संविधान निर्माता थे। डॉ. आंबेडकर सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने राष्ट्र के बहुजनों को मुख्यधारा में लाकर राष्ट्र को सबल एवं सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। बाबा साहेब व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सदैव राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते थे और इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सभी वक्तव्यों, लेखन एवं अन्य विविध कार्यों में जहाँ एक ओर समाज को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, का दर्शन दिया, वहीं दूसरी ओर सदियों से शोषण का दंश झेल रही महिलाओं एवं श्रमिक वर्ग के कल्याण पर बल दिया। डॉ. आंबेडकर ने कट्टरता, अस्पृश्यता एवं साम्प्रदायिक भेदभाव का घोर विरोध किया। पददलित समाज को एक नयी दिशा एवं आत्म-सम्मान देने का महान कार्य वे जीवनपर्यंत अखंड रूप से करते गए। आंबेडकर भारत को एक सशक्त एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। फलतः उनके सभी प्रयत्न भी इसी दिशा में रहे। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय अध्यात्मिक एकीकरण में जो स्थान विवेकानंद का है, राजनीतिक एकात्मता प्रदान करने में सरदार पटेल का है, वही स्थान सामाजिक समता लाने में बाबा साहेब आंबेडकर का है।

संकेत शब्द:- राष्ट्रीय आन्दोलन, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, ब्रिटिश सरकार, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू गांव जिला इंदौर में श्रीरामजी मालोजी सकपाल के घर हुआ। आंबेडकर पिता रामजी सकपाल एवं माता भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनके बचपन का नाम भीमराव रामजी सकपाल था। महार जाति में जन्म होने के कारण बचपन से ही बालक भीमराव को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। महार जाति महाराष्ट्र की अच्छूत समझी जाने वाली जातियों में से एक थी।[1] निर्भीक होने के कारण आंबेडकर सदैव अपने गुरुजनों के कृपा पात्र रहे। आंबेडकर नाम भी उन्हें उनके एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था जिनका भीमराव के साथ विशेष लगाव था। उन्होंने भीमराव के नाम से सकपाल हटाकर आंबेडकर जोड़ दिया जोकि उनके गांव के नाम 'अम्बावडे' पर आधारित था।[2] घर के अत्यंत संस्कारी और धार्मिक वातावरण में अच्छे संस्कार मिले किन्तु घर से बाहर निकलते ही अस्पृश्यता का तीव्र अहसास कराने वाले हृदय विदारक अनुभव आंबेडकर को बचपन से ही मिलने लगे थे। बाजार में दुकानदार माँ को दूर से ही कपड़े दिखाता था। कक्षा में उन्हें अन्य छात्रों से अलग बिठाया जाता था; स्कूल में बैठने के लिए उन्हें घर से ही एक टाट-पट्टी (चटाई) लेकर जाना पड़ता था; अध्यापकों का पुस्तकों एवं नोट बुक चेक करते समय

हाथ न लगाना; स्कूल में प्यास लगने पर अध्यापक की अनुमति बिना पानी नहीं मिलता था। घर पर कपड़े धोने का काम बहन को करना पड़ता था। नौकर रख सकते थे किन्तु अस्पृश्य होने के कारण कोई नौकर घर पर काम करने को राजी नहीं होता था।3 ये सब आंबेडकर के शुरूआती जीवन में कटु अनुभव रहे। छात्र जीवन में अनेक अपमानजनक परिस्थितियों का समाना करने के बावजूद आंबेडकर ने 1902 में प्राथमिक शिक्षा एवं 1907 में मेट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ौदा में महाराज गायकबाड से छात्रवृति प्राप्त की। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आंबेडकर मुम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में आ गए। 1912 में आंबेडकर ने कॉलेज की पढाई पूरी की एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश चले गए। सन 1915 में आंबेडकर ने 'प्राचीन भारत का व्यापार' (एन्शंट इंडियन कॉमर्स) विषय पर शोध प्रबंध लिखकर एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। जून 1916 में आंबेडकर ने 'नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया: ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी' विषय पर अपना पीएचडी का शोध प्रबंध पूर्ण किया किन्तु धनाभाव के कारण वे इसे प्रकाशित न कर पाए। आठ वर्ष पश्चात् लंदन के पी. एस. किंग. एंड सन्स प्रकाशन संस्था ने यह शोध प्रबंध विस्तृत रूप से 'दी इवोल्यूशन ऑफ दि प्रोविन्शियन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया' नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ की छपी हुई प्रतियाँ नियम अनुसार कोलंबिया विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते ही विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें 'डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी' की उपाधि प्रदान की गयी। इस प्रबंध की एक प्रति आंबेडकर ने महाराज सयाजीराव गायकवाड को भी भेंट की थी। आंबेडकर को अर्थशास्त्र का पहला पाठ पढ़ाने वाले प्रो. सेलिग्मन ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखी। वे प्रस्तावना में कहते हैं कि "इस विषय पर इतना गहरा तथा सटीक अध्ययन अन्य किसी ने किया हो, ऐसा मुझे मालूम नहीं।"4 प्रो. सेलिग्मन के इन शब्दों से ग्रन्थ की मौलिकता का पता लगाया जा सकता है। जून 1920 से मार्च 1923 के दौरान लंदन में रहते हुए आंबेडकर ने अर्थशास्त्र व कानून आदि विषयों का अध्ययन कर डी.एस.सी.और बार. एट. लॉ की डिग्रियां भी प्राप्त की।5 सन् 1914 में लन्दन में पढाई के दौरान ही प्रो. सेलिग्मन के माध्यम से आंबेडकर की मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई। प्रो. सेलिग्मन ने लालाजी को बताया कि 'भीमराव भारतीय छात्रों में ही नहीं बल्कि अमेरिकी छात्रों में भी उच्च कोटि का छात्र है।'6 लालाजी आंबेडकर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने आंबेडकर को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ने की कोशिश की किन्तु आंबेडकर ने अपने पढाई के चलते आन्दोलन में शामिल होने से इंकार कर दिया। डॉ. आंबेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे।7 दलितोद्धार की प्रेरणा उन्हें ज्योतिराव फुले से ही मिली। ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए शिक्षा का मार्ग चुना एवं जीवनपर्यंत अस्पृश्य समाज को शिक्षित करने हेतु प्रयासरत रहे। आंबेडकर अमेरिका और यूरोप में भी इस बात का अनुभव कर चुके थे कि व्यक्ति की आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति में सुधार होने पर उसे समाज में अपने आप ही मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए आंबेडकर ने अस्पृश्य समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। उनके मन में दृढ विश्वास था कि केवल शिक्षा द्वारा ही अस्पृश्य एवं पिछड़े समाज के लिए उन्नति के द्वार खुलेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बिना सत्ता नहीं मिल सकती। इस बात पर वह सारी उम्र अडिग रहे। उन्होंने अस्पृश्य समाज से अपील की कि वे शिक्षित बने, संगठित रहें एवं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत रहें।8 आंबेडकर को भलीभांति आभास था कि शिक्षा ओर आर्थिक मजबूती के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति और उसके लिए अवसरों की खोज करनी होगी। उचित अवसर जानकर उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा भारत में विभिन्न सुधारों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए गठित साऊथबोरो कमेटी (1919) के समक्ष अस्पृश्य समाज के अधिकारों की मांग रखने की स्वीकृति राज्यपाल से प्राप्त की। 27 जनवरी 1919 को साऊथबोरो समिति को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उनके सम्पूर्ण भावी सामाजिक व राजनीतिक कार्य की नींव के मूलभूत सूत्र दिखाई देते हैं। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यपद्धति के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यों को मताधिकार, स्वतंत्र मतदान, संघ जैसे अनेक विषयों पर अपने विचार रखे।9 ऐसा करते समय उन्होंने भारतीय हिन्दू समाज की विशिष्ट रचना एवं वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट की। अस्पृश्य समाज की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं किस प्रकार से सरकार के समक्ष रखी जाएँ, इस बात पर विचार

विमर्श करने के लिए आंबेडकर ने 9 मार्च 1924 को सांयकाल चार बजे ठाकरजी सभागृह परेल, मुम्बई में एक सभा बुलाई। अस्पृश्य समाज के सभी नए-पुराने कार्यकर्ता और समाजसेवक इस सभा में उपस्थित हुए। इस सभा के प्रस्तावानुसार ही 20 जुलाई 1924 को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की गयी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्य समाज के छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके ठहरने के लिए छात्रावासों का निर्माण करना, विभिन्न स्थलों पर पुस्तकालय, शैक्षिक स्थल एवं स्वाध्याय केंद्र खोलना एवं बहिष्कृत समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु औद्योगिक एवं कृषि स्कूल खोलना था।10 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अस्पृश्य समाज के लिए आत्मनिर्भर, स्वाभिमान और आत्मोद्धार की सीख लेकर देश में परिवर्तन लाने वाले युग का प्रारम्भ था।

राष्ट्रवादी नेता के रूप में डॉ. आंबेडकर

आंबेडकर का मानना था कि ईश्वर ने सभी को समान पैदा किया है। उसकी दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। किसी कुल में जन्म लेने भर से न तो कोई उच्च हो सकता है और न ही कोई निम्न। व्यक्ति के कर्म, उसका आचरण, व्यवहार एवं नैतिक मूल्य ही उसे उच्च या निम्न बनाते है। आंबेडकर की विद्वता को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में उन्हें बम्बई विधानपरिषद का सदस्य नियुक्त किया। विधानपरिषद के सदस्य के तौर पर आंबेडकर ने गरीब वर्ग की उन्नति साध्य करने का एक भी मौका हाथ से न जाने दिया। स्त्री श्रमिकों का कल्याण एवं महार वतन सुधार कानून जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आंबेडकर द्वारा ही विधानपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गए।11 सन् 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक सात सदस्यीय कमीशन की नियुक्ति की जिसका कार्य 1919 अधिनियम के अंतर्गत भारत में किये गए संवैधानिक सुधारों के विषय में रिपोर्ट देने का था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे जिस कारण यह साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों द्वारा काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया। कांग्रेस ने तो यह कहते हुए कमीशन का बहिष्कार किया कि "यह आत्मनिर्णय के मौलिक अधिकार, जो प्रत्येक राष्ट्र में निहित होता है, का निषेद है।"12 विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने दमन की नीति अपनाई। इसी आन्दोलन के दौरान कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय सिर पर लाठी के प्रहार के कारण शहीद हुए। कमीशन की सहायता के लिए प्रांतीय समितियों का गठन किया गया। आंबेडकर को भी बम्बई प्रांतीय समिति का सदस्य बनाया गया जिसके कारण अनेक भारतीय आन्दोलनकारी नेताओं द्वारा 'अंग्रेजों का पिठू एवं देशद्रोही' कहकर आंबेडकर की आलोचना की गयी। किन्तु आंबेडकर अपनी भूमिका से भली-भांति परिचित थे। बम्बई प्रांतीय समिति ने साइमन कमीशन के समक्ष अपने प्रतिवेदन में सिंध को अलग करने एवं कर्नाटक को बम्बई प्रान्त के भाषायी आधार पर अलग करने की संतुति की। समिति ने संयुक्त निर्वाचन के साथ-साथ दलित वर्ग के लिए दस स्थान सुरक्षित रखने का प्रस्ताव रखा जबकि पृथक निर्वाचन सहित मुसलमानों के लिए 140 में से 33 प्रतिशत सीटें देने का सुझाव रखा। आंबेडकर ने समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा "मेरी राय में आज की सबसे मूल आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्गों में एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाये। वे प्रथमतयः भारतीय हैं उसके पश्चात् हिन्दू, मुस्लिम, सिन्धी या कर्नाटकी हैं। मेरे विचार में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे देशभक्ति की बजाये संकुचित राष्ट्रीयता का विकास हो। आंबेडकर ने अल्बानिया, बुलारिया, ग्रीस, रूमानिया, युगोस्लाविया तथा सोवियत संघ जैसे देशों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां भी बिना किसी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुसलमान अन्य लोगों के साथ रह रहे हैं। क्या भारत में ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके लिए उन्होंने संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था अपनाये जाने का सुझाव रखा।15 आंबेडकर ने कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस की मांग को अपना पूर्ण समर्थन दिया क्योंकि उसमे स्वतंत्रता का सार निहित था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भी उसमे कोई खतरा नहीं था। आंबेडकर का विचार था कि वे लोग ही जो एक सामान्य

ISSN: 2277-7067

संविधान में आस्था रखते हुए संगठित हैं, अपनी आजादी की सुरक्षा कर सकते हैं। आंबेडकर आगे बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार दुनिया में सबसे खर्चीली सरकार है। देश का धन ब्रिटेन की ओर प्रवाहित होता रहा और हम देशवासी गरीब होते चले गए। उन्होंने बताया कि भारतीय लोगों की गरीबी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने जानबुझ कर देश में व्यापार और उद्योगों को निरुत्साहित करने की नीति अपनाई। भारतीयों की गरीबी का मूल कारण ही ब्रिटिश सरकार है। उन्होंने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि "केवल वही सरकार जो लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा हो, भारतीयों की समस्याओं को दूर कर सकती है।"[16] इस प्रकार उनका स्पष्ट विचार था कि हमें अपने दुखों से निजात तब तक नहीं मिल सकती जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में नहीं आ जाती। गोलमेज परिषद में भी डॉ आंबेडकर ने देश के समक्ष मौजूद विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार बड़ी बेबाकी के साथ रखे। उन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। अपने आक्रामक और अंतर्दृष्टिपूर्ण भाषणों से उन्होंने उन तमाम आलोचकों का मूंह बंद कर दिया जो उन्हें अंग्रेजों का पिठ्ठू कहते थे। गोलमेज समेलन में उनके भाषणों ने व्यापक राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी वेदाग प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया और उन्हें एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता के रूप में सामने लाया। जो न केवल दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपितु तमाम हिन्दुस्तानियों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आंबेडकर ने 21 मई 1932 को पुणे में एक सभा में भाषण देते हुए कहा था "गोलमेज सम्मेलन में मेरी भूमिका को लेकर कांग्रेस चाहे मेरा जितना विरोध कर ले किन्तु हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी जब शांतिपूर्वक इस विषय पर विचार करेगी तो उन्हें खुद पता चल जायेगा कि मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है।"[17] आंबेडकर ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक समता के लक्ष्य को प्राप्त किये बिना राजनीति समता का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता।[18] आंबेडकर के अनुसार ध्येयसिद्धि की दृष्टि से राजनीति का महत्व मर्यादित है। सामाजिक उन्नति का आधार केवल मात्र राजनीति नहीं है, सामाजिक व आर्थिक पक्ष भी कम महत्त्व के नहीं होते। समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए इन सभी पक्षों को समान महत्त्व दिए जाने की आवश्यकता है। बाबा साहेब का स्पष्ट विचार था कि राजनीति केवल सत्ता संपादन के लिए ही नहीं अपितु जनता की सेवा के लिए है। डॉ. आंबेडकर देश की स्वाधीनता के विचार को अन्य किसी भी समस्या से ऊपर रखते थे। उन्होंने हमेशा देश हित को प्राथमिकता दी। उनका कहना था कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। मेरे अपने हित और देशहित में जब भी टकराव होगा तो मैं देशहित को प्राथमिकता दूंगा।"[19]

श्रमिक नेता के रूप में डॉ. आंबेडकर

श्रमिक एवं मजदूर वर्ग के कल्याण एवं सुरक्षा हेतु आंबेडकर का योगदान अतुलनीय रहा। स्वतंत्र मजदूर दल के माध्यम से उन्होंने असंगठित मजदूरों को संगठित किया। आंबेडकर जानते थे कि राजनीतिक समता के साथ-साथ आर्थिक समता भी आवश्यक है। वे कहते थे "भूमिहीन मजदूरों की समस्या भारत की अर्थव्यवस्था से जुडी हुई है इसलिए इनकी समस्या को राष्ट्रीय आर्थिक विकास के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।"[20] आंबेडकर रॉयल कमीशन (1925) से पूर्व ही मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रयासरत रहे। 1927 से 1939 तक वह बम्बई प्रोविंसियल कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य रहे। आंबेडकर का हमेशा से ही यह प्रयास रहा की भारत में मजदूरों एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अच्छी श्रम नीति का होना नितांत आवश्यक है। देश में बहुआयामी श्रम कानून बनें। ताकि मजदूर नियोजक के हाथ में खिलौना न बनें। आंबेडकर का मत था कि मजदूर वर्ग के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उद्योगों में काम करने का समुचित वातावरण होना चाहिए। आंबेडकर को यह पूर्ण विश्वास था कि बिना किसी निश्चित श्रमसंहिता के यह सब कल्पना मात्र ही है। इसलिए वे जीवन में सदैव एक मजबूत श्रमसंहिता पर जोर देते रहे एवं समय-समय पर श्रमिक वर्ग के हितों की आवाज उठाते रहे। यह उनकी योग्यता का ही प्रतिफल था कि वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में आंबेडकर

के पास एक दर्जन से भी अधिक विभाग थे। हालाँकि 1946 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।21 किन्तु श्रम कल्याण और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किये गए उनके कार्य आज भी मिल का पत्थर हैं। डॉ. आंबेडकर सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीकरण चाहते थे। उनका मत था कि राष्ट्र की संपदा के राष्ट्रीकरण से ही भारत एक समृद्ध देश बन सकता है। ऐसे में श्रमिक वर्ग भी राष्ट्रहित में काम करेगा। परन्तु निजी मुनाफे का बढ़ते रहने देना, श्रम कानूनों का निर्माण न करना, श्रमिकों को नियोजकों के हाथों खुला छोड़ देने के समान है।22 सन् 1930 के दशक में बाबा साहेब आंबेडकर एक प्रमुख श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 1934 में बम्बई म्युनिसिपल वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर इस क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया था। बाद में उन्होंने श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु एवं उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार दिलवाने के लिए 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल का गठन किया। 1937 के चुनावों में इस दल ने 13 सीटें जीतीं। उन्होंने मजदूरों को गुमराह करने के लिए कम्युनिस्टों की कड़ी आलोचना की। उनका यह ठोस मत था कि कम्युनिस्ट अपनी राजनीतिक ध्येयसिद्धि के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं।23 बाबा साहेब आंबेडकर के लिए श्रमिक वर्ग का कल्याण और सुरक्षा सामाजिक न्याय के आधार थे। श्रम कल्याण एवं श्रम सुरक्षा के उपायों द्वारा आंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया।24

संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर

आंबेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आये थे। किन्तु 1947 में देश विभाजन के साथ-साथ संयुक्त बंगाल का भी विभाजन हो गया। आंबेडकर जिस सीट से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो पूर्वी पाकिस्तान वाले अधिकार क्षेत्र में चली गयी। फलतः आंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। कांग्रेस आंबेडकर की काबिलियत से भली-भांति परिचित थी। आंबेडकर का संविधान सभा में प्रवेश करने का विरोध करने वाली कांग्रेस ने खुद आगे आकर उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के तत्कालीन प्रधानमंती बी.जी.खेर को पत्र लिखकर डॉ. आंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का अनुरोध किया। डॉ. एम. आर. जयकर जोकि कांग्रेस के ही सदस्य थे, के त्यागपत्र देने से रिक्त हुई सीट से डॉ. आंबेडकर जुलाई 1947 में पुनः संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। पंडित नेहरु ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए डॉ. आंबेडकर के समक्ष प्रस्ताव रखा जिसे आंबेडकर में सहर्ष स्वीकार कर लिया। पंडित नेहरु आंबेडकर की विद्वता, तर्कबुद्धि ओर स्पष्टवादिता से बहुत प्रभावित थे इसी कारण उन्होंने आंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में विधि मंत्री का कार्यभार सौंपा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के भावी संविधान के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। समिति में सात सदस्य थे। जिनके नाम थे- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगर, बी. आर. आंबेडकर, के. एम. मुंशी, सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला, बी, एल. मित्रा और डी. पी. खेतान। समिति की पहली बैठक में ही डॉ. आंबेडकर को सर्वसम्मति से मसौदा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। कुछ समय पश्चात् बी. एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधवराव को चुन लिया गया जबकि डी. पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उनका स्थान टी. टी. कृष्णामाचारी को दे दिया **मुसलमानों की निष्ठा का केंद्र कभी भारत नहीं हो सकता**

डॉ. आंबेडकर ने इस्लामी भ्रातृत्व को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा। उनका मानना था कि 'इस्लामी भ्रातृत्व विश्वव्यापी भ्रातृत्व नहीं है। उनका भ्रातृत्व प्रेम केवल अपने समुदाय तक ही सीमित है। उनमें एक बंधुत्व तो है किन्तु अपने समुदाय तक। अन्य समुदायों के लिए उनके मन में शत्रुता एवं घृणा के अलावा कुछ नहीं। इस्लाम कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि तथा हिन्दू को अपने सगे के रूप में मान्यता नहीं दे सकता।'28 सन 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ज्ीवनहीजे वद च्ंापेजंद' में आंबेडकर ने कहा कि "वे हिंदुस्तान में रहते हैं किन्तु इस्लामी विचारों के वशीभूत होने के कारण उनकी आँखे तुर्कस्तान या अफगानिस्थान की ओर लगी

रहती हैं। हिंदुस्तान अपना है इसका उन्हें तनिक भी अभिमान नहीं। हिन्दुओं को तो वे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान पर आक्रमण के समय देश की रक्षा करेंगे ऐसा मानकर चलना खतरनाक है।" आंबेडकर 1919 की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि "स्मरण रखो कि जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तब भारत के मुसलमान अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर आक्रमण का न्योता देने गए थे।"29 आंबेडकर का स्पष्ट मत था कि 'एकता भाईचारे की भावना, बंधुता और सजातीयता पर आधारित होनी चाहिए। वह अध्यात्मिक होनी चाहिए। किन्तु भारत के हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच ऐसी एकता कभी नहीं रही क्यूंकि दोनों राजनीतिक दृष्टि से पृथक, सामाजिक दृष्टि से विरोधी एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न रहे हैं।'30 इन्ही कारणों से कांग्रेस विरोध के बाबजूद डॉ. आंबेडकर ने भारत विभाजन का समर्थन किया। उनका स्पष्ट मत था कि अगर मजबूत केन्द्रीय सरकार चाहिए तो विभाजन करना ही होगा अन्यथा परिणाम बुरे हो सकते हैं। जबरदस्ती की हिन्दू-मुस्लिम एकता राष्ट्र की उन्नति में रुकावट बनेगी। भारत एक रोगमयी राज्य होगा और यदि भारत का विभाजन हो जाता है तो जो दृश्य दिखाई देगा उससे तुलना करें। विभाजन से हर किसी को अपना सुखद भविष्य प्राप्त करने के लिए जो भी मार्ग स्वीकार करना हो, वो खुला रहेगा।31 आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे किन्तु वे दिल से विभाजन नहीं चाहते थे। उन्होंने संविधान सभा में पाकिस्तान पर विचार रखते हुए कहा था कि 'आज भले ही मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए मांग कर रही है लेकिन एक दिन लीग भी यह सोचने पर बाध्य होगी कि संयुक्त भारत में रहकर ही मुस्लिमों का ज्यादा भला हो सकता था, ऐसा कहने में मुझे रंग मात्र की भी शंका नहीं है।'32 आंबेडकर एक कुशल नेता थे। उन्हें स्मरण था कि एक ही समय दो-दो मोर्चों पर संघर्ष करना किसी भी दृष्टि से सही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़े जा रहे राजनीतिक आंदोलन से दूरी बनाए रखी। किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन की हर छोटी-बड़ी घटना की उनको पूरी जानकारी रहती थी। स्पृश्य हिन्दुओं से लड़ते-लड़ते ब्रिटिश सत्ता से जो अधिकार प्राप्त होंगे उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना आंबेडकर का ध्येय था।33 राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्य की अपेक्षा आंबेडकर का कार्य अधिक भव्य एवं उदात्त था। क्यूंकि आंबेडकर के कार्य में भावी भारतीय लोकतंत्र की सुरक्षा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव अंतर्निहित था।

निष्कर्ष

बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर सच्चे राष्ट्र उन्नायक थे। उन्होंने न केवल समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े शोषित वर्ग की आवाज उठाई वरन समूचे भारत को एक सुदृढ़, संगठित और सभ्य राष्ट्र बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। वायसराय की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य रहते उन्होंने श्रमिकों के हित में अनेक कानून पास करवाए। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने नारी समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। भारतीय संविधान को बनाने के लिए उन्होंने अथक शारीरिक और मानसिक परिश्रम किया। बहुत अल्प समय में संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए इसकी एक-एक पंक्ति को पारित भी कराया। डॉ. आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में मानव व्यक्तित्व के प्रति सम्मान, सहमति व समझौते की प्रवृति, सामाजिक कल्याण, के साथ-साथ व्यक्ति स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, प्रेम एवं सद्भावना आदि के तत्त्व निहित हैं। इस प्रकार हमारा संविधान सर्वसमावेशी एवं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की धारणा पर आधारित है जिसमें देश के हर नागरिक के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण एवं सवर्धन किया गया है। बाबा साहेब आंबेडकर एक मनीषी थे जिनकी दिव्य दृष्टि ने भारत को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में लाकर खड़ा कर दिया।

संदर्भ सूचीः

1. ण् चांगदेव भवानराव खैरमोड़े, बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर: जीवन एवं चिंतन, भाग-1, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ- 16

2. ण् वही, पृष्ठ -55
3. ण् धनंजय कीर, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर: जीवन-चरित, पोपयुलर प्रकाशन, मुम्बई, 2006, पृष्ठ-16
4. ण् वही, पृष्ठ- 30-31
5. ण् चांगदेव भवानराव खैरमोड़े, भाग-9, पृष्ठ- 21
6. ण् चांगदेव भवानराव खैरमोड़े, भाग-1, पृष्ठ- 94-96
7. ण् कुलदीप चंद अग्निहोत्री, डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यात्रा के पदचिन्ह, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ -137
8. ण् डॉ. अखिलेश निगम 'अखिल', डॉ. अम्बेडकर: सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, संपादक, प्रो. सतीश गंजू और डॉ. रवि कुमार गोंड, 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर: संघर्ष से शिखर तक' अनंग प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ- 38
9. ण् दत्तोपंत ठेंगडी, डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 2015, पृष्ठ- 106
10. ण् धनंजय कीर, पृष्ठ- 53
11. ण् वही, पृष्ठ- 108
12. ण् डॉ. डी. आर. जाटव, राष्ट्रीय आन्दोलन में आंबेडकर की भूमिका, समता साहित्य सदन, जयपुर, 2010, पृष्ठ- 38
13. ण् ताराराम, श्रम कल्याण, श्रम सुरक्षा और भारतरत्न डॉ. आंबेडकर, भाग-1, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ- 17
14. ण् वही, पृष्ठ- 18
15. ण् डॉ नरेंद्र जाधव, डॉ. आंबेडकर राजनीति, धर्म और संविधान विचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृष्ठ- 24
16. ण् ताराराम, 2011, पृष्ठ- 110
17. ण् डॉ. डी. आर. जाटव, डॉ. अम्बेडकररू संविधान के मुख्य निर्माता, समता साहित्य सदन, जयपुर, 2015, पृष्ठ- 38-40
18. ण् जाटव, 2015, पृष्ठ- 50
19. ण् भद्रशील रावत, राष्ट्र निर्माण में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का योगदान, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ- 66
20. ण् बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 15, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ- 337
21. ण् डॉ. भीमराव आंबेडकर, 'पाकिस्तान की परिकल्पना' (ज्ीवनहीजे वद चं्पेजंद का हिंदी रूपांतरण) एस. मूर्ति, कल्चरल पब्लिशर्स, लखनऊ, 1987, पृष्ठ- 88-90
22. ण् जाटव, 2010, पृष्ठ- 153
23. ण् बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 15, पृष्ठ- 347
24. ण् चांगदेव भवानराव खैरमोड़े, भाग-9, पृष्ठ- 210
25. ण् धनंजय कीर, पृष्ठ- 57
26. 34ण् जाटव, 2010, पृष्ठ- 39